झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 2326/2016

असगर अली, पिता स्वर्गीय अब्दुल रज्जाक, निवासी ग्राम-सैदपुर, धोबी टोला-कठारी, डाकघर-परसा और थाना-दरियापुर, जिला-छपरा (सारण)। 30/06/2012 को साहिबगंज सर्कल, सहायक आयुक्त वाणिज्य कर कार्यालय, साहिबगंज में चपरासी के पद से सेवानिवृत्त। ... ... **याचिकाकर्ता**

बनाम

1. झारखंड राज्य।
2. सचिव, वाणिज्य कर मंत्रालय, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर व थाना-धुर्वा, जिला-रांची।
3. संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, रांची, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर व थाना-धुर्वा, जिला-रांची।
4. सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, साहिबगंज, डाकघर व थाना-साहिबगंज, जिला-साहिबगंज।
5. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर व थाना-धुर्वा, जिला-रांची।
6. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड राज्य, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर व थाना-धुर्वा, जिला-रांची।
7. उप-मंडल शिक्षा पदाधिकारी, साहिबगंज, डाकघर व थाना-साहिबगंज, जिला-साहिबगंज।
8. लेखा महानियंत्रक, रांची, डाकघर व थाना-दोरंडा, जिला-रांची।

... ... **प्रतिवादीगण**

पीठ: माननीय श्रीमान न्यायाधीश सुझित नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता की ओर से	: श्री अर्शद हुसैन, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	: श्री एम.के. रॉय, जी.ए.-I
प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से	: श्री सुदर्शन श्रीवास्तव, अधिवक्ता

आदेश संख्या 07/दिनांक 17.02.2024

माननीय श्री सुझित नारायण प्रसाद, न्यायाधीश के अनुसार,

1. वर्तमान रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें निम्नलिखित राहतों की मांग की गई है:

"I. एक उचित आदेश/प्रत्यायन/निर्देश जारी करने के लिए, जिसे प्रमाणपत्र के रूप में याचिका संख्या 1326 रांची, दिनांक 04/03/2013 द्वारा जारी किया गया है, जो संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, झारखंड सरकार द्वारा पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा, सामान्य भविष्य निधि राशि और अवकाश नकद आदि जैसी सेवानिवृत्ति लाभों को याचिकाकर्ता को 36 वर्षों की निरंतर सेवा के बावजूद अस्वीकृत कर दिया गया है।

II. एक उचित आदेश/निर्देश जारी करने के लिए, जो प्रतिवादियों को पेंशन निर्धारित करने और उसे नियमित रूप से अन्य पेंशन लाभों के साथ भुगतान करने का आदेश/निर्देश जारी करें, जो अभी तक याचिकाकर्ता को भुगतान नहीं किया गया है।

III. एक उचित आदेश/प्रत्यायन/निर्देश जारी करने के लिए, जिसमें झारखंड सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या 824 दिनांक

30/05/2007 (अनुबंध-4) के उपबंध 11 और 12 को रद्द किया जाए, जिसमें यह शर्त लगाई गई है कि याचिकाकर्ताओं का समायोजन/अवशोषण नई सेवा के रूप में माना जाएगा और उन्हें वेतन/भुगतान सुरक्षा का सेवा लाभ नहीं दिया जाएगा।

IV. एक उचित आदेश/निर्देश जारी करने के लिए, जो प्रतिवादियों को आदेश दे कि याचिकाकर्ता को 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार रुपये) का शेष राशि सहित ब्याज के रूप में भुगतान किया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता को 13/06/2013 को 059492 चेक के माध्यम से कुल 5,35,000/- (पाँच लाख पैंतीस हजार रुपये) में से 4,00,000/- (चार लाख रुपये) का आंशिक भुगतान किया गया था, जो उसे 16/05/2001 से 03/03/2008 तक वाणिज्य कर विभाग में पुनः समायोजन/अवशोषण से पहले का बकाया वेतन था (अनुबंध-5)।

V. उचित रिट/रिटों, आदेश/आदेशों, दिशा-निर्देश/दिशा-निर्देशों के निर्गमन हेतु, सर्टियोरेरी की प्रकृति में, पत्र संख्या 138 (विधि) दिनांक 17.03.2015 (अनुलग्नक-9) तथा पत्र संख्या 364 दिनांक 20.07.2015 (अनुलग्नक-9/1) को रद्द करने के लिए, जिसे निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत उनके कार्यालय को निर्देश दिया गया है कि 16.05.2001 से उनके पुनर्समायोजन (03.03.2008) तक की अवधि के वेतन बकाया राशि की गणना उस न्यूनतम वेतन के आधार पर की जाए, जो उन्हें पुनर्समायोजन के समय दिया गया था। विवादित पत्र के माध्यम से न तो याचिकाकर्ता को कोई वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई और न ही कोई भत्ता, जो कि सरकारी सेवकों पर लागू होता है, प्रदान किया गया, जो स्वयं में अवैध, अन्यायपूर्ण और शुरू से ही शून्य है।

2. याचिका में की गई याचिका के अनुसार, जिन तथ्यों को संक्षेप में उल्लिखित करना आवश्यक है, वे इस प्रकार हैं:-

याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्ष 1978 में, केंद्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 35 वर्ष की आयु के निरक्षरों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से "एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम"

नामक योजना को अपनाया। उक्त योजना के पालन में, देशभर में, विशेष रूप से बिहार राज्य में 2 अक्टूबर 1975 से विभिन्न एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए गए थे।

3. राज्य सरकार को योजना को लागू करने के लिए कार्यालय कार्य और क्षेत्रीय कार्य के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता थी। राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और सुपरवाइजर/क्लर्क/पियोन के पदों को भरने के लिए मानक और योग्यताओं को निर्धारित किया। इस प्रकार, 1978 से 1996 तक विभिन्न चरणों में, विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए और आवेदन प्राप्त करने के बाद साक्षात्कार आयोजित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई, और याचिकाकर्ता सहित अन्य लोगों को राज्य सरकार के आदेश से, गठित समिति की सिफारिश पर, नियमित वेतनमान पर विभिन्न चरणों में नियुक्त किया गया।

4. याचिकाकर्ता, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल होने से पहले, प्रारंभ में चौकीदार के पद पर नियुक्त किए गए थे और 15.06.1976 को 9वीं बिहार बटालियन, राष्ट्रीय कैडेट कोर, मुंगेर में पदस्थापित किए गए थे। बाद में, 19.03.1980 को उन्होंने एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल होकर, संथाल परगना के कथिकुंड में पिओन के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

5. 1987 में, याचिकाकर्ता को एडल्ट एजुकेशन कार्यालय, ताजहरी, जिला-दुमका (अब साहिबगंज) में स्थानांतरित किया गया और वह वहां पिओन के रूप में कार्यरत रहे जब तक कि 15.05.2001 को उन्हें अधिशेष घोषित नहीं किया गया।

6. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा और जन शिक्षा द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति PR-430 (शिक्षा 6) 2001-02 में 16.05.2001 से गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया था और इस अधिसूचना के तहत याचिकाकर्ता सहित अन्य लोग जो एडल्ट-कम-नॉन-फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत कार्यरत थे, अधिशेष हो गए, लेकिन उन्हें न तो निकाला गया और न ही उन्हें सेवा से समाप्त किया गया।

7. हालांकि, झारखंड के मानव संसाधन विकास विभाग ने 31.01.2002 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें निर्णय लिया गया कि सभी अधिशेष कर्मचारियों का विवरण और बायोडाटा मांगा जाए।

8. उक्त विज्ञप्ति के तहत, याचिकाकर्ता ने अपना बायोडाटा प्रस्तुत किया। जब याचिकाकर्ता और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों को सेवा में नहीं लिया गया, तो इस हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें उनके सेवा के पुनर्नियोजन की मांग की गई, ताकि उन्हें झारखंड सरकार के किसी भी विभाग में उपयुक्त और समकक्ष पद पर नियुक्त किया जा सके। उन्होंने अपनी बकाया वेतन की भी मांग की, जो कि 16.05.2001 से लेकर उनके पुनर्नियोजन तक थी।

9. याचिका के लंबित रहने के दौरान, झारखंड सरकार ने 30.05.2007 को मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा एक नीति निर्णय लिया, जिसके तहत याचिकाकर्ता और अन्य समान रूप से स्थित कर्मचारियों को झारखंड सरकार के नौ विभिन्न विभागों में समायोजित किया गया।

10. याचिकाकर्ता को झारखंड सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग के तहत साहिबगंज सर्किल, साहिबगंज में वाणिज्यिक कर आयुक्त कार्यालय में पिओन के पद पर समायोजित/अवशोषित किया गया।

11. इस बीच, कुछ कर्मचारियों ने राज्य सरकार के पुनर्नियोजन नीति निर्णय से पहले पेंशन की आयु प्राप्त कर ली थी। कोर्ट ने उन मामलों पर विचार किया और 16.05.2001 से लेकर उनके पेंशन की तिथि तक के वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया और पेंशनरी लाभ भी प्रदान किए।

12. याचिकाकर्ता का कहना है कि उक्त परिस्थितियों में याचिकाकर्ता 15.05.2001 को जब वह अधिशेष घोषित किए गए थे, उस समय उनके पास जो वेतनमान था, उसके आधार पर पूरा बकाया वेतन पाने का हकदार है। याचिकाकर्ता को 16.05.2001 से लेकर 03.03.2008 तक वाणिज्यिक कर विभाग में पुनर्नियोजन की

तिथि तक बकाया वेतन के रूप में 5,35,000/- रुपये का हक है, लेकिन यह राशि उन्हें नहीं दी गई।

13. याचिकाकर्ता को आंशिक राशि, अर्थात 4,00,000/- रुपये दी गई है और शेष राशि 1,35,000/- रुपये अभी भी बकाया है।

14. यह याचिकाकर्ता का अतिरिक्त दावा है कि चूंकि उन्होंने नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक विधिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के उपरांत नियुक्ति प्राप्त की है, अतः वे सेवा निवृत्ति लाभों जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा, सामान्य भविष्य निधि राशि एवं अवकाश नकदीकरण आदि के हकदार हैं। अतः, संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, झारखंड सरकार द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 1326, रांची, दिनांक 04.03.2013, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 36 वर्षों की निरंतर सेवा के उपरांत भी पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा, सामान्य भविष्य निधि राशि एवं अवकाश नकदीकरण आदि से वंचित किया गया है, अवैध है तथा इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

15. याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए एकमात्र तर्क के अनुसार, चूंकि वह राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) में कार्य कर रहे थे और उसके बाद उनकी सेवाएं गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में दी गई थीं और गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के बंद होने के कारण, रिट याचिकाकर्ता को सेवा में समायोजित किया गया था, जिसमें यह शर्त थी कि वह वेतन या पूर्व सेवा की कोई सुरक्षा का दावा नहीं करेंगे, जैसा कि अवशोषण आदेश की शर्त संख्या 11 और 12 में निर्धारित किया गया था। लेकिन, चूंकि वह एनसीसी में कार्यरत थे, इसलिए शर्त 11 और 12 लागू नहीं होगी, इसका आधार इस न्यायालय के पूर्ण पीठ निर्णय, जिसमें ***भोला नाथ हंसा उर्फ भोला हंसा बनाम झारखंड राज्य और अन्य*** का उल्लेख है, पर आधारित है, जो ***2017 (3) जेसीआर 795 (झारखंड) (एफ.बी.)*** में पारित किया गया था, जैसा कि इसके पैरा 48 में कहा गया है।

16. दूसरी ओर, श्री मृणाल कांती रॉय, राज्य सरकार के अधिवक्ता- I ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क को गंभीरता से विवादित किया है और यह तर्क दिया है कि चूंकि याचिकाकर्ता की सेवा समायोजित की गई है और इसमें यह शर्त

रखी गई है कि वह न तो वेतन की सुरक्षा का दावा कर सकते हैं और न ही पूर्व सेवा की, तो उन्हें अवशोषण आदेश के भाग का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती और शर्त संख्या 11 और 12 को छोड़ने का अनुरोध नहीं किया जा सकता। अतः, याचिकाकर्ता के पूर्व सेवा को इस परिस्थिति में गिना नहीं जा सकता।

17. अतिरिक्त रूप से, उपर्युक्त मुद्दे का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***परमेश्वर नंदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य, मुख्य सचिव एवं अन्य [(2020) 12 एस सी सी 131]*** में भी किया जा चुका है।

18. इस कोर्ट ने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस को सुना और प्रतिवादी के तर्कों का मूल्यांकन करते हुए यह माना कि विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या अवशोषण की शर्तों के तहत शर्त 11 और 12 यह प्रभाव डालती है कि पूर्व सेवा पेंशन लाभ के लिए नहीं गिनी जाएगी या वेतन का दावा नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि अवशोषण के निर्णय को संबंधित पक्ष द्वारा स्वीकार किया न जाए, इसे नई नियुक्ति के रूप में माना जाए।

19. इस न्यायालय ने पूर्ण पीठ के निर्णय का संदर्भ लिया है, जो ***भोला नाथ हंसा उर्फ भोला हंसा बनाम झारखंड राज्य और अन्य*** के मामले में ***2017 (3) जे.सी.आर 795 (झारखंड) (एफ.बी.) (उपरोक्त)*** में दिया गया है, जैसा कि पैराग्राफ 48 में उल्लेखित है।

20. इस न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय के उक्त अनुच्छेद का अवलोकन किया है। संदर्भ हेतु, उसे निम्नलिखित रूप में उद्धृत किया जा रहा है:-

> 48. इस वृहद पीठ के समक्ष प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है। हालांकि, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं के मामले डब्ल्यूपीएस संख्या 2458/2008, 3660/2009, 4702/2009 और 4963/13 के मामले में जिन्होंने दावा किया है कि उन्हें 1978 में आदर्श शिक्षा परियोजना शुरू होने से पहले सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया था, उन्हें उनके व्यक्तिगत तथ्यों

के आधार पर उचित पीठ द्वारा निपटाया जाएगा। शेष याचिका को उपरोक्त निर्णय के आधार पर निपटाया गया।"

21. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि वह उपरोक्त बयान का लाभ उठाना चाहते हैं जो पैराग्राफ 48 में किया गया था, क्योंकि उन्हें एनसीसी में नियुक्त किया गया था और अवशोषण आदेश में निर्धारित शर्त के बावजूद, भले ही अवशोषण को नई नियुक्ति के रूप में माना जाए, वह यह दावा करेंगे कि उन्हें सेवा में माना जाएगा जैसा कि उन्होंने एनसीसी के कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया था।

22. उपरोक्त निर्णय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है, जिसमें संबंधित पैराग्राफ 26 में अवशोषण आदेश के तहत शर्त 11 और 12 का विचार किया गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अवशोषण करते समय कोई कर्मचारी पूर्व सेवा का लाभ और वेतन सुरक्षा का दावा नहीं करेगा और उसे नई नियुक्ति के रूप में माना जाएगा, संदर्भ के लिए अवशोषण आदेश की शर्त 11 और 12 को नीचे उल्लेखित किया जा रहा है:

"11. अतिरेक कर्मियों का समायोजन नई नियुक्ति समझी जायगी तथा अतिरेक होने के पूर्व की सेवा के आधार उन्हें वरीयता का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

12. इन अतिरेक कर्मियों को वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं।"

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***परमेश्वर नंदा और अन्य बनाम झारखंड राज्य, मुख्य सचिव और अन्य*** के मामले में इस शर्त पर विचार करते हुए (उपरोक्त) पैराग्राफ 26 में यह निर्णय दिया कि जब नियुक्ति को नई नियुक्ति के रूप में माना गया है, तो संबंधित कर्मचारी को पेंशन लाभ के उद्देश्य के लिए पूर्व सेवा का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि यह एक नई नियुक्ति है, संदर्भ के लिए उपरोक्त निर्णय का पैराग्राफ 26 इस प्रकार है:

"26. चूंकि अपीलकर्ताओं को वेतन सुरक्षा और वरिष्ठता के बिना नई नियुक्तियों के रूप में अवशोषित किया गया है, इस परिणामस्वरूप वे पेंशन के उद्देश्य के लिए परियोजना

के तहत दी गई अपनी पूर्व सेवा को गिनने के हकदार नहीं होंगे। अतः हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश [भोला नाथ हंसा बनाम झारखंड राज्य, 2017 एससीसी ऑनलाइन झारखंड 1387: (2017) 3 एआईआर झारखंड आर 280] में कोई त्रुटि नहीं मिलती, जो वर्तमान अपीलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता पैदा करता है। इस प्रकार, अपीलें अस्वीकृत की जाती हैं।"

24. अन्यथा भी, यदि कोई दस्तावेज स्वीकार किया जा रहा है, तो उसकी स्वीकृति आंशिक रूप से नहीं हो सकती है, अर्थात् जो निर्णय पक्षकार के पक्ष में हो, उसे स्वीकार किया जाएगा और जो निर्णय पक्षकार के पक्ष में नहीं हो, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह सिद्धांत इस आधार पर है कि कोई भी व्यक्ति एक ही दस्तावेज पर दोनों प्रकार के लाभ का दावा नहीं कर सकता। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जो ***आर.एन. गोसाईं बनाम यशपाल धीर, (1992) 4 एससीसी 683*** के मामले में है, जिसमें पैराग्राफ 10 में यह देखा गया है जो यहां उद्धृत किया जा रहा है:

> "10. कानून किसी व्यक्ति को दोनों प्रकार से अनुमोदन और अस्वीकृति की अनुमति नहीं देता। यह सिद्धांत चुनाव के सिद्धांत पर आधारित है, जो यह स्थापित करता है कि कोई भी पक्ष एक ही उपकरण को स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता, और 'एक व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि एक लेन-देन वैध है और इस प्रकार वह कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है, जिसे वह केवल यह मानकर प्राप्त कर सकता था कि यह वैध है, और फिर वह यह कहकर पलट नहीं सकता कि यह अमान्य है ताकि वह कोई अन्य लाभ प्राप्त कर सके।' [See:Verschures Creameries Ltd. v. Hull and Netherlands Steamship Co. Ltd. [(1921) 2 KB 608, 612 (CA)] , Scrutton, L.J.] इंग्लैंड के हॉल्सबरी के कानून के अनुसार, 4वीं संस्करण, खंड 16, "एक आदेश के तहत लाभ प्राप्त करने के बाद (उदाहरण के लिए लागत के भुगतान के लिए) एक पक्ष उसे अमान्य कहकर उसे रद्द करने की मांग करने से वंचित हो सकता है।" (पैरा 1508)"

25. ***पंजाब राज्य और अन्य बनाम कृष्ण निवास, एआईआर 1997 एससी 2349*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ-4 में यह तय किया कि जब कर्मचारी ने आदेश की सत्यता को स्वीकार कर लिया है और फिर उस पर अमल किया है, तो इसे संबंधित व्यक्ति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती।

26. ***सुजुकी पारसरामपुरिया सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महेन्द्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (विलयनाधीन) और अन्य, (2018) 10 एस सी सी*** 707 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 12 और 13 में यह कहा जो इस प्रकार है:

> "12. एक वादकारी विभिन्न समयों में विभिन्न दृष्टिकोण अपना सकता है, लेकिन एक ही मामले में वह विरोधाभासी दृष्टिकोण नहीं अपना सकता। एक पक्ष को समान तथ्यों पर अनुमोदन और अस्वीकृति करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही वह असंगत बदलते दृष्टिकोण अपना सकता है। एक ही मामले में असंगत दृष्टिकोण की अविश्वसनीयता पर विचार करते हुए अमर सिंह बनाम भारत संघ [अमर सिंह बनाम भारत संघ, (2011) 7 एस सी सी 69] में निम्नलिखित निर्णय दिया गया: (एस सी सी पृष्ठ 86, पैराग्राफ 50)
>
> > "50. यह न्यायालय स्पष्ट करना चाहता है कि कानून में कार्रवाई शतरंज का खेल नहीं है। एक वादकारी जो न्यायालय में आता है और उसकी रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है, उसे स्वच्छ हाथों के साथ आना चाहिए। वह टालमटोल नहीं कर सकता और असंगत स्थितियाँ नहीं अपना सकता।"
>
> 13. इसी तरह का दृष्टिकोण जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ एयरलाइन पायलट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम डीजीसीए [जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ एयरलाइन पायलट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम डीजीसीए, (2011) 5 एस सी सी 435] में लिया गया, जिसमें कहा गया: (एस सी सी पृष्ठ 443, पैराग्राफ 12)
>
> > "12. चुनाव का सिद्धांत स्थगन के नियम पर आधारित है — यह सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति अनुमोदन और अस्वीकृति नहीं कर सकता, इसमें निहित है। चुनाव द्वारा स्थगन का सिद्धांत स्थगनों के प्रकारों में से एक है (या समुचित स्थगन), जो न्यायसंगत स्थगन का नियम है।
> >
> > ...
>
> एक पक्ष द्वारा असंगत दावे करना उसकी प्रवृत्ति को संतोषजनक नहीं बनाता। इसके अलावा, पक्षों को असंगत दृष्टिकोण नहीं अपनाने चाहिए और बिना कारण प्रक्रियाओं को अनावश्यक रूप से बढ़ाने से बचना चाहिए।"

27. इस न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों और कानूनी स्थिति पर चर्चा करते हुए यह विचार किया कि याचिकाकर्ता को पूर्व सेवा का लाभ प्राप्त करने का हक नहीं है जैसा कि ऊपर उल्लेखित कारणों के आधार पर है।

28. इस प्रकार, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, ज.)

बीरेंद्र **/ए.एफ.आर.**

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**